GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
ORDNANCE FACTORY BOARD
AYUDH BHAVAN
10-A, SHAHEED KHUDIRAM BOSE ROAD
KOLKATA-700 001

TEL : (033) 22485077-80 | FAX:(033) 22487822

No. 288/RR/REV/SRO-RAJBHASHA/PER/NI **Date : 16-10-2017**

To
The Sr. General Manager / General Manager
All Ordnance & Ordnance Equipment Factories

Sub : Framing of SRO in respect of Senior Translator, Junior Translator and Hindi Typist in Ordnance Factories Organisation.

*****

Please find enclosed herewith a copy of Gazette Notification vide notifying publication of S.R.O 38 dated 19th May, 2017 for the post of Senior Translator, Junior Translator and Hindi Typist in supersession of earlier SRO related to the above posts for favour of necessary action.

Kindly acknowledge receipt.

Encl.- S.R.O 38 dated 19.05.2017

[Dr.(Smt.) Vani A.Singh]
Director / A&NI
For Director General, Ordnance Factories

Copy to :-

1.Chairman 's Sectt., OFB Kolkata.
2.All Members, OFB Kolkata.
3.The Addl. DGOF/AV HQrs, Avadi.
4.The Addl. DGOF/OEF HQrs, Kanpur.
5.Sr. Principal Director, NADP, Ambajhari.
6.Principal Director/OFILs, RCSs, RMCs & OFRC.
7.Principal Controller of Accounts (Fys), Kolkata.
8.Section : Per/ Rajbhasha, Per/NG, Per/Policy and Per/IR.
9. All Staff side Members of JCM-III level.
10. Instruction File.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, मई 21—मई 27, 2017, शनिवार/वैशाख 31—ज्येष्ठ 6, 1939

No. 17] NEW DELHI, MAY 21—MAY 27, 2017, SATURDAY/VAISAKHA 31—JYAISTHA 6, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 मई, 2017

का.नि.आ. 38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, आर्डनेंस तथा आर्डनेंस उपस्कर कारखाना समूह "ख" ,समूह "ग" पद राजभाषा काडर, भर्ती नियम 2009 को, जहां तक उसका संबंध ज्येष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी टंकक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, आर्डनेंस और आर्डनेंस उपस्कर कारखानों और उसके सृजित मुख्यालयों में ज्येष्ठ अनुवादक समूह "ख" अराजपत्रित, कनिष्ठ अनुवादक समूह "ख" अराजपत्रित और हिंदी टंकक समूह "ग" पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, आर्डनेंस और आर्डनेंस उपस्कर कारखाना समूह "ख" और समूह "ग" पद राजभाषा काडर भर्ती नियम, 2017 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **लागू होनाः**— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध सूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध सूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदिः**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **अनर्हताः**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपनी पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा .—

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है एवं ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय होगी कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह इसके कारणों को लेखबद्ध करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और ऐसी अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी जिनका उपबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1. ज्येष्ठ अनुवादक	14* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा गैर चयन पद
(4)	(5)
स्तर -7 (44900-142400/-रुपए)	चयन

सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 6 (रू. 35400-112400/-) में ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित किए गए संस्थान से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे: 1) उप महानिदेशक, आर्डनेंस कारखाना बोर्ड – अध्यक्ष 2) निदेशक, आर्डनेंस कारखाना बोर्ड – सदस्य 3) रक्षा मंत्रालय,रक्षा उत्पादन विभाग, आर्डनेंस कारखाना बोर्ड का संबद्ध निदेशक / उप सचिव – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

(1)	(2)	(3)
2. कनिष्ठ अनुवादक	85* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय

(4)	(5)
स्तर -6 (35400-112400/- रुपए)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)
30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	**आवश्यक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से, हिंदी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य विषय या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रही हो ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से, अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य विषय या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रही हो ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से, हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न, किसी विषय में मास्टर डिग्री ,जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी माध्यम के रूप में और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रही हो ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से, हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न, किसी विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी अनिवार्य विषय या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से, हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न, किसी विषय में	लागू नहीं होता

	मास्टर डिग्री, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य विषय या वैकल्पिक विषय या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो ; और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से, हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के पाठ्यक्रम का कोई डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव ।	

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	**सीधी भर्ती द्वारा :** **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी - क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है , या ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संविदा पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1) उप महानिदेशक, आर्डनेंस कारखाना बोर्ड – अध्यक्ष 2) निदेशक, आर्डनेंस कारखाना बोर्ड – सदस्य 3) रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, आर्डनेंस कारखाना बोर्ड का संबद्ध निदेशक/उप सचिव – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

(1)	(2)	(3)
1. हिंदी टंकक	41* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय

(4)	(5)
स्तर -2 (19900-63200/- रुपए)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)
18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **नोट 2**: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**आवश्यक :** (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण जिसमें हिंदी एक मुख्य विषय के रूप में या परीक्षा का माध्यम के रूप में रही हो ; और (ख) कौशल परीक्षा मानक 'केवल कंप्यूटरों पर 'हिंदी टंकण 30 शब्द प्रति मिनट (अनुज्ञात समय 10 मिनट) (9000 केडीपीएच के अनुरूप 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी डिप्रेशन्स औसतन)	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)		(13)
विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि करने पर विचार के लिए) जिसमें शामिल रहेंगे :		लागू नहीं होता ।
1. अपर महाप्रबंधक / उप महानिदेशक	– अध्यक्ष	
2. संयुक्त महाप्रबंधक या निदेशक	– सदस्य	
3. संयुक्त महाप्रबंधक या निदेशक	– सदस्य	

[फा. सं. 41(3)/2014/डी (स्था./एन.जी.)]

अम्लान दास, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 19th May, 2017

S.R.O. 38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, Ordnance and Ordnance Equipment Factories Group 'B' and Group 'C' Posts Rajbhasha Cadre, Recruitment Rules, 2009, in so far as they relate to the posts of Senior Hindi Translator, Junior Hindi Translator and Hindi Typist , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Translator Group 'B' Non-gazetted, Junior Translator Group 'B' Non-gazetted and Hindi Typist Group 'C' in Ordnance and Ordnance Equipment Factories and its Headquarters formations, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Ministry of Defence, Ordnance and Ordnance Equipment Factories, Group 'B' and Group 'C' Posts, Rajbhasha Cadre, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc**. —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—No person,-**

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification
(1)	(2)	(3)
1. Senior Translator	14* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level-7 (Rs. 44900-142400)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or Deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion : Junior Translators in level-6 of the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade and have successfully completed the training of 2 or 4 weeks in the relevant area from the institute to be prescribed by the Ministry. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** (1) Deputy Director General, Ordnance Factory Board- Chairman ; (2) Director, Ordnance Factory Board –Member ; (3) Director/Deputy Secretary (concerned with Ordnance Factory Board, Department of Defence Production, Ministry of Defence) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessaryण्

(1)	(2)	(3)
2. Junior Translator	85* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial

(4)	(5)	(6)
Level-6 (Rs. 35400-112400)	Not applicable.	Not exceeding 30 Years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)

(7)	(8)	(9)
Essential: Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. OR Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. OR Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level ; OR Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level ; OR Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; AND Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in a Central or State Government office, including Government of India Undertaking.	Not applicable	two years for Direct recruits

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government :— (A) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (B) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)	Not applicable	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** (1) Deputy Director General, Ordnance Factory Board – Chairman (2) Director, Ordnance Factory Board – Member (3) Director/Deputy Secretary (concerned with Ordnance Factory Board, Department of Defence Production, Ministry of Defence) – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

(1)	(2)	(3)
3. Hindi Typist	41* (2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial

(4)	(5)	(6)
Level-2 (Rs. 19900-63200)	Not applicable	Between 18 and 27 years of age (relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2 :** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-

		limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
Essential: (a) 12th Class or equivalent with Hindi as one of the main subject or Hindi as medium of examination from a recognised Board or University ; and (b) Skill Test Norms 'only on Computers'. Hindi Typing @ 30 w.p.m.(words per minute) (Time allowed-10 minutes) (30 w.p.m. correspond to 9,000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word)	Not applicable	Two years

(10)	(11)	(12)	(13)
Direct recruitment	Not applicable	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—** (1) Additional General Manager/Deputy Director General – Chairman (2) Joint General Manager/Director – Member (3) Joint General Manager/Director – Member	Not applicable.

[F. No. 41(3)/2014-D(Estt/NG]

AMLAN DAS, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.06.01 15:32:44 +05'30'